	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20 6/25	पत्रावली पेश। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 पर बहस के दौरान वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) ने कथन किया कि वादीनी द्वारा यह वाद अपंजीकृत व अनस्टाम्पड विक्रय के करार के आधार पर व खातेदारी अधिकार दिए जाने की मांग की है, अपंजीकृत विक्रय इकरार एवं विपरित कब्जा के आधार पर खातेदारी दिए जाने का वाद कानून द्वारा वर्जित है एवं इस कारण वादी का वाद खारिज होने योग्य है, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा का वाद केवल खातेदार कृषक द्वारा किया जा सकता है, भूमि के जिस हिस्से के सबंध में वादीनी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है, उसका खातेदार कृषक वादीनी न होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है इस कारण भी वादीनी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है। वादीनी ने इस वाद के तथ्यों के आधार पर ही एवं वाद इस वाद से पूर्व माननीय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायालय हिण्डोली में बउनवान अन्नू शर्मा बनाम राजतिलक वाद संख्या 3/2022 पेश किया हुआ है, जो अभी उक्त न्यायालय में विचाराधीन है, इस कारण भी उन्ही तथ्यों के आधार पर यह वाद पोषनीय नहीं है। हमने ए0सी0जी0एम0 कोर्ट में लम्बित प्रकरण के सम्मन मय वादपत्र की प्रति पेश किए है। वाद वादीनी कानून द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जावे। खण्डन में वकील अप्रार्थी (वादीनी) ने कथन किया कि इन्होंने विवादित भूमि में से चॉदसिंह ने अपना दिनांक 15.05.20213 को राशि प्राप्त कर बेचान कर इकरारनामा प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित करवाकर कब्जा संभला दिया था, जिस पर हम अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है पूर्व में भूमि खातेदारी में दर्ज नहीं होने से विक्रय पत्र के स्थान पर इकरारनामा निष्पादित करवाया था जिसके आधार पर हमारे अधिकारों की घोषणा की जानी है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे। हमने वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किए जाने जाने बाबत पेश किया है। वादीनी द्वारा इकरारनामें के आधार पर अधिकारों की घोषणा करवाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का पेश किया है।	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

P.T.O.→

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 में जिन दशाओं में वादपत्र को नामंजूर किया जाता है। उनमें एक यह भी है कि "वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है"।

वादीनी द्वारा उक्त वाद अपंजीकृत व अनस्टाम्पड विक्रय के करार के आधार पर पेश किया है। जिसका अनुतोष इस न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाकर सिविल न्यायालय द्वारा दिया जाना है इस बाबत प्रार्थीया द्वारा सिविल न्यायालय में भी प्रकरण पेश किया हुआ है। उक्त वाद इस न्यायालय में सुने जाने योग्य नहीं है व विधि द्वारा वर्जित होना जाहिर आया है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वाद इस न्यायालय में विधि द्वारा वर्जित होने से वाद वादीनी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली